प्रेस विज्ञप्ति
27.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स श्री राज महल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड (एसआरएमजेपीएल) और इसके प्रमोटरों/निदेशकों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत शुरू की गई धन शोधन जांच के संबंध में 27-09-2024 को अशोक गोयल को गिरफ्तार किया है। उन्हें 27-09-2024 को माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 5 दिनों के लिए ईडी की हिरासत मंजूर की है।

ईडी ने मेसर्स एसआरएमजेपीएल, समूह की कंपनियों और इसके निदेशकों/प्रमोटरों के खिलाफ के.अं.ब्यू., नई दिल्ली द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। के.अं.ब्यू. की प्राथमिकी के अनुसार, मेसर्स एसआरएमजेपीएल [सोने और हीरे जड़े आभूषणों के निर्माण और व्यापार में लगी] ने बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ से 125 करोड़ रुपये का ऋण लिया था और बैंक के धन को गैर-इरादतन उद्देश्यों के लिए विपथित करके बैंकों को धोखा दिया था। इसके बाद, ऋण चुकाने में चूक हुई और उसका भुगतान नहीं किया गया। मेसर्स एसआरएमजेपीएल के प्रमोटरों और समूह कंपनियों के खिलाफ बैंकों को लगभग 232 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए कई प्राथमिकी दर्ज हैं।

ईडी की जांच से पता चला है कि उक्त इकाई/प्रमोटरों/निदेशकों ने बैंक के फंड को उक्त इकाई के व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए विपथित किया, जैसे कि व्यक्तिगत नामों पर अचल संपत्ति/रियल एस्टेट में निवेश। बैंक ऋण में गिरवी रखे गए शेयरों को भी शेल संस्थाओं को कथित बिक्री दिखाकर निकाल लिया गया ताकि बैंक के बकाए की वसूली के लिए ये उपलब्ध न हो सकें। शेल संस्थाओं पर जांच से पता चलता है कि या तो वे अस्तित्व में नहीं हैं या बुक्स में दावा किए गए लेनदेन हुए ही नहीं। कुछ संस्थाओं ने स्वीकार किया है कि उन्होंने प्रमोटरों के अनुरोध पर प्रविष्टियां प्रदान की थीं। उक्त कुछ शेल संस्थाओं का संचालन मेसर्स एसआरएमजेपीएल के प्रमोटरों/निदेशकों के रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है। जांच से यह भी पता चला है कि समूह की कंपनियों की शेयर पूंजी में प्रमोटरों द्वारा किए गए निवेश का बड़ा हिस्सा भी उनके रिश्तेदारों द्वारा संचालित जांच से यह भी पता चला कि प्रवर्तक बैंकों/प्रवर्तन एजेंसियों को बैंकों को देय ऋण राशि वसूलने से रोकने के लिए फर्जी संस्थाओं/डमी निदेशकों के माध्यम से संपत्ति/धन रख रहे हैं।

11-04-2023 और 07-05-2024 को दिल्ली और एनसीआर में मेसर्स एसआरएमजेपीएल और उसके प्रमोटरों/निदेशकों से संबंधित विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। कई अपराध-संकेती साक्ष्य, महंगी लग्जरी कारें (बीएमडब्ल्यू/ मर्सिडीज) आदि जब्त की गईं ।

मेसर्स एसआरएमजेपीएल की 94.18 करोड़ रुपये)लगभग(मूल्य की चल/अचल संपत्तियां और इसकी समूह कंपनी मेसर्स गिन्नी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड की 13.43 करोड़ रुपये)लगभग(मूल्य की संपत्तियां जब्त की हैं। इन संपत्तियों का लाभकारी स्वामित्व अशोक गोयल, प्रदीप गोयल , प्रवीण कुमार गुप्ता]प्रमोटर/निदेशक[के पास है ।

आगे की जांच जारी है।